# आजम खां से ईडी ने जेल में आठ घंटे पूछताछ की

## जौहर यूनिवर्सिटी व ट्रस्ट में आर्थिक अनियमितता का मामला

**जांच**

**लखनऊ, विशेष संवाददाता।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तीन सदस्यीय टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी व ट्रस्ट में गड़बड़ी के मामले में मंगलवार को रामपुर जेल में सपा नेता आजम खां से आठ घंटे तक पूछताछ की। जौहर ट्रस्ट व यूनिवर्सिटी को मिले चंदे और उसके निवेश के कई सवालों पर आजम ने गोलमोल जवाब दिए और कई प्रश्नों पर मौन साधे रखा।

ईडी ने कई बिंदुओं पर आजम खां के बयान दर्ज किए हैं। उनके करीबियों से हुई पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर भी आजम से सवाल किए गए। सूत्रों का कहना है कि चंदे की रकम विभिन्न खातों में डायवर्ट किए जाने के मकसद को लेकर पूछे गए प्रश्न पर वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।

ईडी ने टीम ने मंगलवार को रामपुर जेल में आजम खां से कई चरणों में पूछताछ की। सवाल-जवाब का सिलसिला शाम करीब 6:30 बजे तक जारी रहा। ईडी ने मामले में पहले भी आजम खां के बयान दर्ज किए थे। आजम खां के परिवार की मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को लेकर दर्ज मुकदमों को आधार बनाकर ईडी ने मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।



चंदे की रकम से जुड़े कई सवालों पर दिए गोलमोल जवाब

### सीतापुर जेल में भी की जा चुकी है पूछताछ

जौहर ट्रस्ट से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की भी जांच की जा रही है। इससे पहले जब आजम खां सीतापुर जेल में बंद थे, तब ईडी उनसे जेल में पूछताछ कर चुकी है। आयकर विभाग भी अपने स्तर से जांच कर रहा है। ईडी की ओर से जांच के निष्कर्ष के संबंध में कोई बयान सामने नहीं आया है।

### ईडी ने दस ठिकानों पर की थी छापेमारी

ईडी ने बीते दिनों रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी समेत आजम खां के करीबियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी और कई दस्तावेज कब्जे में लिए थे। छापेमारी के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर ईडी ने बीते दिनों जौहर ट्रस्ट के ट्रस्टी व सपा विधायक नसीर अहमद खान, आजम के करीबी सीए दीपक गोयल व ठेकेदार सलीम, जौहार यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो .जहीरुद्दीन समेत अन्य लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए थे। चंदे की रकम और निर्माण कार्यों में हुए खर्च रकम के श्रोत और सरकारी ठेकेदारों से वसूले गए कमीशन की रकम को लेकर आगे की छानबीन जारी है।

### अब तक की जांच में क्या-क्या हुआ

- **19 अगस्त :** ईडी ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में जौहर ट्रस्ट, जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खां से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की।
- **25 सितंबर :** जौहर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. जहीरुद्दीन से करीब आठ घंटे पूछताछ की गई।
- **30 सितंबर :** आजम खां के करीबी सालिम से पहली बार पूछताछ की गई। ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेन-देन के संबंध में जानकारी मांगी गई।
- **05 अक्तूबर :** आजम खां के चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गोयल से पूछताछ की गई। ट्रस्ट के खातों व खर्च की गई रकम से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल हुई।
- **06 अक्तूबर :** सपा विधायक नसीर अहमद खान से करीब सात घंटे पूछताछ की गई। उनसे डोनेशन और निर्माण कार्यों के बारे में सवाल किए गए।
- **08 अक्तूबर :** सालिम से दूसरी बार पूछताछ हुई। एजेंसी उसके बयानों और एस एंड ए फर्म से जुड़े दस्तावेजों में सामने आए तथ्यों का मिलान कर रही है।

# दंगाइयों और माफिया से है सपा का नाता : योगी

**जनसभा**

**बरेली, मुख्य संवाददाता।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा विरोधी सपा कभी शिक्षकों की हितैषी नहीं हो सकती। उसका नाता शिक्षकों से नहीं, दंगाइयों और माफिया से रहा है। सपा सरकार में गरीबों और शिक्षकों के बजाय गैंगस्टरों और माफिया का सम्मान किया जाता था। जब हमारी सरकार ने गुंडों और माफिया पर शिकंजा कसना शुरू किया तो सपाइयों में खलबली मच गई।

मुख्यमंत्री मंगलवार को बरेली क्लब के मैदान में बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पिछली सरकारों पर शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी के बाद शिक्षा को सरकारी एजेंडे में प्रमुखता नहीं दी गई। इसका असर केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अर्थव्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर भी पड़ा। प्रदेश की पहचान का संकट खड़ा हो गया था। इसके बावजूद शिक्षकों ने विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा की ज्योति बुझने नहीं दी।

सीएम ने कहा कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए व्यापक बदलाव किए गए। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गईं और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गईं। परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए। सरकार ने शिक्षकों के सम्मान में पुरस्कार राशि बढ़ाने के साथ सम्मानित किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या में भी वृद्धि की है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने साढ़े नौ वर्षों में नौ लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं।



### दंगा किया तो बाप-दादाओं की कमाई से भी हाथ धोएंगे

**मुख्यमंत्री** ने दंगाइयों और उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब दंगा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यदि किसी ने दंगा किया तो उसे अपने बाप-दादाओं की कमाई से भी हाथ धोना पड़ सकता है। सीएम बोले, वर्ष 2017 से पहले बरेली में पर्व-त्योहार आते ही दंगे होते थे, जबकि अब दंगा करने वाले जेल में उर्स मना रहे हैं। इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने मौलाना तौकीर रजा की ओर इशारा किया। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब उपद्रव से नहीं, उत्सव से है। कानून-व्यवस्था में आए बदलाव से प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदली है।

# अतीक के कब्जे से मुक्त जमीन पर छह सौ फ्लैट बनेंगे

**प्रयागराज।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को प्रयागराज आएंगे। यहां तीन प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे, सभी जगह सभा को सम्बोधित करेंगे। सीएम का अधिकृत कार्यक्रम अभी प्रशासनिक अफसरों के पास नहीं आया है, लेकिन सूचना मिलने के बाद तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

मुख्यमंत्री कसारी मसारी में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई एक हेक्टेयर जमीन पर होने वाले 602 फ्लैट के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इसे पद्म लोक नाम दिया गया है। यहां पर सीएम की जनसभा की तैयारी भी की जा रही है। इससे पूर्व लूकरगंज में अतीक से मुक्त कराई जमीन पर आवासीय योजना का निर्माण कराया गया था, जिसका शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था।

**प्रदेश 30s**

### पहिया बेपटरी, पांच घंटे बाधित रहीं ट्रेनें

**आगरा।** ईदगाह-बांदीकुई मेमू ट्रेन नदवई स्टेशन के पास मंगलवार सुबह बेपटरी हो गई। नदवई स्टेशन से चलते ही कुछ ही देरी पर ट्रेन के एक कोच का पहिया पटरी से उतर गया। घटना की जानकारी मिलते ही आगरा से अधिकारियों ने घटनास्थल की दौड़ लगा दी। कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के बाद करीब पांच घंटे में पहिया पटरी पर लाया जा सका। घटना के चलते आगरा से जयपुर के बीच बांदीकुई होकर जाने वाली आधा दर्जन ट्रेन लेट हो गईं।

### संभल हिंसा के आरोपी के घर मुनादी, नोटिस चस्पा

**संभल।** संभल हिंसा के मामले में वांछित शारिक साठा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। चार मुकदमों में फरार चल रहे आरोपी के घर पुलिस ने मुनादी कराई और न्यायालय के आदेश को पढ़कर सुनाया। साथ ही मकान पर बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा का नोटिस चस्पा किया। पुलिस ने लोगों से शारिक के बारे में जानकारी देने की अपील की है।

### पुलिस की सख्ती पर रामलीला कमेटी ने मंच उखाड़ा

**बिजनौर।** पैहरूवाला में रामलीला में नर्तकी के डांस का वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस की कार्रवाई से नाराज रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने मंगलवार को मंच उखाड़ दिया और मंचन बंद करने का ऐलान कर दिया। साथ ही धर्म परिवर्तन की चेतावनी देते हुए ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई पर नाराजगी जताई।


भारत सरकार, रेल मंत्रालय

रेलवे भर्ती बोर्ड

केन्द्रीकृत रोजगार सूचना संख्या : 07/2026

गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों – पूर्व स्नातक के विभिन्न पदों की भर्ती (संकेतात्मक सूचना)

गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (पूर्व स्नातक) के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। **पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएँगे।** (https://www.rrbapply.gov.in)

आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : 15.10.2026 (संभावित)

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 13.11.2026 (23:59 बजे तक) (संभावित)

| पदों के नाम | 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर | चिकित्सा मानक | आयु (दि. 01.01.2027 को) | संभावित रिक्तियां (सभी रे.भ.बो.) |
|---|---|---|---|---|
| गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियां- पूर्व स्नातक के विभिन्न पद | वेतन स्तर–2 & वेतन स्तर–3 | विस्तृत सीईएन के मुताबिक | विस्तृत सीईएन के मुताबिक | 1,688 |
| | | | कुल | 1,688 |

1. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने प्राथमिक विवरण का सत्यापन आधार के माध्यम से कर लें, ताकि आधार सत्यापित नहीं होने के कारण भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में होने वाली विस्तृत जांच में होने वाली असुविधा और विलंब से बचा जा सके।
2. आधार के माध्यम से सफल सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए, आधार में दर्ज नाम एवं जन्म तिथि का 10वीं कक्षा के प्रमाण–पत्र में उपलब्ध पूर्ण नाम एवं जन्म तिथि के साथ शत–प्रतिशत मिलान होना चाहिए। साथ ही, ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार में नवीनतम फोटो एवं नवीनतम बायोमेट्रिक्स (फिंगर प्रिंट एवं आइरिस) अद्यतित होना चाहिए।
3. यह नोटिस केवल सूचनात्मक प्रकृति की है तथा इस का उद्देश्य भावी अभ्यर्थियों को आगामी CEN के संबंध में सूचित करने एवं आवेदन करने के लिए आवश्यक प्रमाण–पत्रों अथवा दस्तावेजों के साथ तैयार रहने हेतु जानकारी प्रदान करना मात्र है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भर्ती को नियंत्रित करने वाले सभी नियम, शर्तें, पात्रता मानदंड, प्रक्रियाएं एवं अन्य आवश्यकताएं विस्तृत CEN 07/2026 (साथ ही समय–समय पर जारी किए जाने वाले किसी भी शुद्धिपत्र सहित) के अनुसार ही होंगी। विस्तृत CEN केवल सभी RRBs की आधिकारिक वेबसाइट https://rrb.indianrailways.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थी इस आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से संबंधित RRB की वेबसाइट/वेबपेज पर जा सकते हैं।

No.RRB/PRYJ/Advt./CEN/07/2026 अध्यक्ष

दिनांक: 14.10.2026 रेलवे भर्ती बोर्ड

बिचौलियों, दलालों और जॉब रैकेट चलाने वालों से सावधान रहें।


# 'व्यभिचार के आरोप से गुजारा भत्ता नहीं रोक सकते'

**अदालत से 1**



- अप्रमाणित तस्वीरों और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को व्यभिचार का निर्णायक सबूत नहीं मानेंगें
- कानपुर से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने कहा, तीसरे व्यक्ति को सुनवाई का मौका दें

**प्रयागराज, विधि संवाददाता।** इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के आदेश के खिलाफ पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। यह मामला कानपुर के पारिवारिक न्यायालय से जुड़ा था, जिसने 19 मार्च 2025 को पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी तीसरे व्यक्ति पर व्यभिचार का आरोप लगाकर, उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके चरित्र और प्रतिष्ठा के खिलाफ निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा सकता। केवल तस्वीरों और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के आधार पर व्यभिचार साबित नहीं होता, जब तक उनकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता स्थापित न हो। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला ने कहा कि पति ने कथित संबंध में जिस व्यक्ति का नाम लिया, उसे सुनवाई के लिए बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया। ऐसे में उसके खिलाफ आरोप पर विचार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा। अदालत ने अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में तस्वीरें और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री स्वीकार करने की मांग भी ठुकरा दी। हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता देने के पारिवारिक न्यायालय के 19 मार्च 2025 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

# सीलिंग जमीन के मामले में 19 साल देरी से दाखिल अर्जी रद्द

**3**

**प्रयागराज, विधि संवाददाता।** इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के अर्बन लैंड सीलिंग के एक पुराने मामले में 19 साल की देरी से दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मूल भू-स्वामी पूरी कार्यवाही से वाकिफ था, उसने आपत्तियां और अपील तक की थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने दीपक की याचिका पर दिया है।

विवादित जमीन आगरा की सदर तहसील के नगला डीम गांव में मौजा बसई की है, जिसके मूल भू-स्वामी लेखराम के पिता ईश्वरी थे, जो याची प्रथम के पिता व याची द्वितीय के पति हैं। लेखराम ने 14 अगस्त 1976 को सीलिंग रिटर्न दाखिल किया था। याचियों का कहना था कि वे अब उक्त जमीन पर भी काबिज हैं, राज्य ने कभी कब्जा नहीं लिया। राज्य सरकार का कहना था कि धारा 8(3) का नोटिस 17 जून 1978 को जारी होकर 26 जून1978 को मकान पर चस्पा कर तामील हुआ। कोई आपत्ति न आने पर 23 जुलाई 1979 को धारा 8(4) में 20,807 वर्ग मीटर जमीन सरप्लस घोषित हुई। बाद में लेखराम ने 28 मार्च 1980 को प्रार्थना पत्र दिया, जिसे स्वीकार कर गाटा नंबर 675 व 688 को सीलिंग से मुक्त कर अन्य गाटों से एक्सचेंज किया गया। धारा 10(1) की अधिसूचना 28 जून 1980 को गजट में आई। लेखराम ने 15 दिसंबर 1980 को आपत्ति की, जो 20 जनवरी 1981 को खारिज हुई। लेखराम ने जिला जज आगरा के समक्ष अपील की, जो 28 जनवरी 1982 को खारिज हो गई।

# 'एफआईआर से पहले कानून का पालन जरूरी'

**2**

**प्रयागराज, विधि संवाददाता।** इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में तैनात महिला दरोगा संध्या जायसवाल के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करने का स्पेशल जज का आदेश रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति संतोष राय ने दरोगा की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि लोक सेवक के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने से पहले बीएनएसएस की धारा 175(3) और 175(4) का पालन अनिवार्य है। वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र के दसनीपुर निवासी सुशीला देवी ने आरोप लगाया था कि 22 जुलाई की रात दरोगा ने दो पुलिसकर्मियों के साथ घर में घुसकर जातिसूचक गालियां दीं और उनके बेटे रोहित कुमार गौतम को जबरन उठाकर अवैध हिरासत में रखा। वहीं, दरोगा ने दावा किया कि रोहित को उसी दिन सुपुर्दगीनामा के जरिए उसकी मां को सौंप दिया गया था। हाईकोर्ट ने पाया कि स्पेशल जज ने पुलिस की विस्तृत रिपोर्ट और सुपुर्दगीनामा का उचित न्यायिक परीक्षण नहीं किया। वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट लेने और लोक सेवक का पक्ष सुनने की अनिवार्य प्रक्रिया का भी पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल प्रक्रियागत अनियमितता नहीं, बल्कि क्षेत्राधिकार की खामी है। इसी आधार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश रद्द कर दिया गया।

# बिना जांच, सुनवाई के बर्खास्तगी अवैध

**4**

**प्रयागराज।** इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहकारी समिति में अंकिक के पद पर कार्यरत रोहित सिंह की सेवा समाप्ति के दोनों आदेश रद्द कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने से पहले न तो आरोपपत्र दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर मिला। विभाग ने स्वीकार किया कि कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

# घायलों की मदद करने वाले 27 राहवीरों को सम्मान

**योजना 1**

**लखनऊ, विशेष संवाददाता।** उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की मदद कर उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए 27 'राहवीर योजना' के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत राहवीरों को पुरस्कृत करने के लिए यूपी परिवहन विभाग को 10 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है। इन्हें 25-25 हजार रुपये बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने 21 सितंबर 2026 को जारी पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और जरूरत के समय घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने तीन अक्तूबर 2021 को गुड सेमेरिटन को पुरस्कृत करने की योजना शुरू की थी। इसके तहत पहले वित्तीय चक्र में 36 गुड सेमेरिटन को पांच-पांच हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी गई थी।

# अब मेधावी विद्यार्थियों को जेईई-नीट कोचिंग मुफ्त

**2**

- चयन परीक्षा से सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलेगा मौका
- एक वर्ष तक निःशुल्क कोचिंग, आवास और भोजन की सुविधा

**लखनऊ, विशेष संवाददाता।** समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराई जाएगी। दक्षणा फाउंडेशन की ओर से संयुक्त दक्षणा चयन परीक्षा (जेडीएसटी-2027) के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक वर्ष तक जेईई अथवा नीट की निःशुल्क तैयारी के साथ आवास और भोजन की सुविधा भी मिलेगी। यह सुविधा पुणे के निकट स्थित दक्षणा वैली परिसर में उपलब्ध कराई जाएगी।

शैक्षिक सत्र 2026-27 में कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में अध्ययनरत और मई 2027 तक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी निर्धारित मानकों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग वर्ग में छात्र के लिए सामान्य श्रेणी में कक्षा 10 के गणित एवं विज्ञान विषयों में निर्धारित कटऑफ 85 प्रतिशत और छात्रा के लिए 80 प्रतिशत है। अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए कटऑफ अलग-अलग निर्धारित है।


सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय: 113/179, स्वरूप नगर, कानपुर-208002

**परिशिष्ट–IV-A [नियम 8(6) का परंतुक देखें]**

**अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।**

सामान्य रूप से आम लोगों को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं जमानतकर्ता(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (प्रतिभूत लेनदार) के पास गिरवी/चार्ज की गई हैं, जिसको **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत अधिकारी द्वारा **सांकेतिक कब्ज़ा** ले लिया गया है। जिसे **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", और "जो कुछ भी है"** के आधार पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूति लेनदार के द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता(ओ) एव ज़मानतकर्ता(ओ) से बकाया की वसूली के लिए निम्नलिखित उधारकर्ताओं की संपत्ति को **दिनाँक 31.10.2026** को **प्रातः 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे** के बीच बेचा जाएगा। संबंधित संपत्तियों का आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि (ई.एम.डी.) नीचे दी गई है।

**ईएमडी (ऑनलाइन) जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 31.10.2026 प्रातः 11:00 बजे तक**

| क्र. सं. | ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता का नाम एवं शाखा | बंधक सम्पत्ति का विवरण | डिमांड नोटिस की तिथि एवं देय धनराशि / कब्जा नोटिस की तिथि | रिजर्व प्राइस / ईएमडी / बिड इन्क्रीज अमाउन्ट |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **ऋणीः श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री कृष्ण कुमार मिश्रा,** पताः मकान सं. 716, वार्ड सं. 08, बिंदकी कोहना, मोहल्ला– मीरखपुर पश्चिम, कस्बा बिंदकी, फतेहपुर, पिन–212635 **जमानतकर्ताः श्री कृष्ण कुमार मिश्रा,** पताः मकान सं. 716, वार्ड सं. 08, बिंदकी कोहना, मोहल्ला– मीरखपुर पश्चिमी, कस्बा बिंदकी, फ़तेहपुर, पिन–212635 शाखा– बिंदकी, मो0– 8303714275 ई–मेलः bmkanp4502@centralbank.bank.in | संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर संपत्ति स्थित मकान सं. 716, वार्ड सं. 8, मोहल्ला– मीरखपुर पश्चिम, कस्बा– बिंदकी, परगना एवं तहसील– बिंदकी, जिला– फतेहपुर, पिन–212635 **संपत्ति का क्षेत्रफलः** 77.004 वर्ग मीटर **संपत्ति के मालिक**– श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री कृष्ण कुमार मिश्रा **चौहद्दीः उत्तरः** श्री राम किशोर का प्लॉट, **दक्षिण**– श्री शिव नारायण का प्लॉट, **पूर्व**– 20.00 फीट रोड, **पश्चिम**– तालाबी भूमि | 06.12.2022 रू. 6,91,687.73/– + ब्याज + अन्य खर्चें (यदि कोई वसूली हो तो उसे घटाकर) / सांकेतिक कब्जा की तिथि 17.07.2023 | रू. 11.53 लाख / रू. 1,15,300/– / रू. 15,000/– |
| 2. | ऋणीः (1) श्री अमर बहादुर सिंह पुत्र स्व0 जगदेव सिंह, पता ग्राम व पोस्ट– मडराओ, तहसील– बिंदकी, जिला–फतेहपुर, पिन–212635 जमानतकर्ताः श्री निरपत बहादुर, पताः ग्राम व पोस्ट– मडराओ, तहसील– बिंदकी, जिला–फतेहपुर, पिन–212635 शाखा– बिंदकी, मो0– 8303714275 ई–मेलः bmkanp4502@centralbank.bank.in | संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर संपत्ति स्थित ललौली रोड (रवि पैलेस सिनेमा के पास) काशा बिंदकी, जिला–फतेहपुर, पिन– 212635, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, बिंदकी **संपत्ति का क्षेत्रफलः** 68.04 वर्ग मीटर **संपत्ति के मालिक**– श्री अमर बहादुर सिंह पुत्र स्व0 जगदेव सिंह **चौहद्दीः उत्तर**– श्री शत्रुघ्न सिंह का मकान, **दक्षिण**– श्री राजेश का मकान, **पूर्व**– उमराव इंडस्ट्रीज की भूमि, **पश्चिम**– 10.00 फीट रोड फिर खिल्लन बिट्टन का प्लॉट | 01.06.2017 रू. 5,00,240.00/– + ब्याज + अन्य खर्चें (यदि कोई वसूली हो तो उसे घटाकर) / सांकेतिक कब्जा की तिथि 22.09.2017 | रू. 22.00 लाख / रू. 2,20,000/– / रू. 15,000/– |

**ई–नीलामी की तिथिः 31.10.2026 प्रातः 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच 10 मिनट के ऑटो एक्सटेंशन के साथ।**

इच्छुक बोलीदाताओं को वेबसाइट https://www.ebkray.in पर पंजीकरण करना होगा और क्रेता पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ईएमडी राशि एनईएफटी/आरटीजीएस/ट्रांसफर (https://www.ebkray.in से चालान उत्पन्न होने के बाद) के माध्यम से ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में जमा की जाएगी। नीलामी सामान्य लैंडिंग प्लेटफॉर्म EBkray पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ई–नीलामी **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर आयोजित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (कम ईएमडी राशि) को एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से खाता संख्या 3007652890, आईएफएससी–CBIN0281432 में प्राधिकृत अधिकारी के खाते के नाम पर उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले जमा करना होगा। शेष 75% राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पहले किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होने पर बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई कोई भी राशि जब्त कर ली जाएगी। संपत्ति पर कोई भार नहीं है, तथापि बोलीदाता इस संबंध में स्वतंत्र जांच कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में (किसी प्रतिभूत संपत्ति के लिए एकमात्र बोली लगाने वाले के मामले सहित) प्रतिभूत संपत्ति आरक्षित मूल्य या उससे कम पर नहीं बेची जाएगी। न्यूनतम एक बोली वृद्धि राशि अनिवार्य है। (प्रक्रिया– खरीदार/बोलीदाता को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपने eBKray पोर्टल में लॉगिन करना होगा)।

**उपरोक्त संपत्ति पर ऋणभार का विवरण, जैसा कि बैंक को ज्ञात है– ज्ञात नहीं है**

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट (प्रतिभूत लेनदार के रूप में) यानी https://www.centralbankofindia.bank.in., या नीलामी प्लेटफ़ॉर्म यानी https://www.ebkray.in देखें। हेल्पलाइन नंबर +91 8291220220, किसी अन्य जानकारी के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी, मो0– 8303713702 से सम्पर्क करें।

सभी ऋणी/जमानतकर्ताओं की सूचित किया जाता है कि उपरलिखित समस्त देय, ब्याज एवं खर्चों सहित ई–नीलामी तिथि से पूर्व अदा कर दें अन्यथा उनकी सम्पत्तियां नीलाम कर दी जायेगी तथा यदि कोई देय शेष रह जाते हैं तो उनकी वसूली हेतु उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

दिनांकः 13.10.2026 स्थानः कानपुर प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, कानपुर

अल्पकालीन निविदा सूचना सं0–41/अ0अ0/न0नि0ख0का0/2026–27

महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु मुहरबन्द निविदाएं सिचाई विभाग यॉत्रिक के वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों हेतु आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक–16.10.2026 से 27.10.2026 तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, कानपुर में प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 15.00 बजे तक निर्धारित शुल्क बैंक ड्राफट/डिमांड ड्राफट/नकद के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, कानपुर के नाम हो, जमा कर अथवा नकद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक–27.10.2026 अपरान्ह 01.00 बजे तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, कानपुर के कार्यालय में रखे टेण्डर बाक्स में डाली जायेगी। निविदा दिनांक–28.10.2026 को अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि/गठित कमेटी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, कानपुर के कार्यालय में अपरान्ह 04.00 बजे खोली जायेगी। निर्धारित तिथि/समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के अनुपस्थित होने पर, निविदा खुलने के समय में कोई भी परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। सामान्य नियम व शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। कार्यालय बन्द होने की दशा में यह निविदा अगले कार्य दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

आमंत्रित निविदा की सूचना निम्नानुसार हैः–

| लाट संख्या | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा (मी0 में) | अनुमानित धनराशि (लाख रू0 में) | धरोहर धनराशि (रू0 में) | कार्य पूर्ण करने की अवधि | निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में) | ठेकेदार की श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Drilling of 450/600 mm diameter hole 180 Meter deep with Rotary rig machine for construction of 02 No. state tubewell in District- Etawah under the project 1750 R&R as per bill of quantity. | 360 | 5.53 | 11500 | 05 माह | 225+ जी.एस.टी +500.00 स्टेशनरी चार्ज | यॉत्रिक "ए" श्रेणी या उच्च |
| 02 | Drilling of 450/600 mm diameter hole 150 Meter deep with Rotary rig machine for construction of 02 No. state tubewell in District- Farrukhabad under the project 1750 R&R as per bill of quantity. | 300 | 4.61 | 9500 | 05 माह | 150+ जी.एस.टी +500.00 स्टेशनरी चार्ज | यॉत्रिक "ए" श्रेणी या उच्च |

UP-258142, Dt. 13.10.2026 Website : www.upgov.nic.in

( सुजीत कुमार सिंह ) अधिशासी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,

कानपुर वृत्त, लो.नि.वि.,16/22 सिविल लाइन्स, कानपुर–208001

Email ID- sekanpurcircle@gmail.com

पत्रांक : 4391 सी0/131सी0–का0वृ0/2026–27 दिनांक : 07.10.2026

ई–निविदा सूचना

श्री राज्यपाल महोदय, उ.प्र. की ओर से अधीक्षण अभियंता, कानपुर वृत्त, लो.नि.वि., कानपुर द्वारा निम्नलिखित तालिका में अंकित कार्य के निर्माण हेतु आईटम रेट दरों के आधार पर ऑन लाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह सभी निर्देशों (परिशिष्ट/संशोधनों सहित), कन्डीशन्स ऑफ कान्ट्रैक्ट, कान्ट्रैक्ट डाटा, प्रपत्र, शर्तें, तकनीकी विशिष्टियों, बी0ओ0क्यू0 इत्यादि का भली–भांति परीक्षण कर लें।

| क्र. सं. | कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत (रु0 लाख में) | धरोहर धनराशि (रु0 लाख में) | निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0) | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| विधानसभा क्षेत्र-बिठूर | | | | | |
| 1. | रमईपुर से जामू जमरही से कठारा रेलवे स्टेशन होते हुए कठेरुआ कठारा मार्ग के किमी-7(500) से 13(450) तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य। (05 वर्षीय अनुरक्षण लागत सहित) | 1025.00 | 20.50 | 2300.00 + 414.00 (GST) + 5000.00 = Total 7714.00 | 12 माह (वर्षा ऋतु सहित) |

बिड डाक्यूमेन्ट वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर दिनांक 27.10.2026 से 05.11.2026 (अपरान्ह 12:00 बजे) तक उपलब्ध हैं जोकि वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं। शासनादेश संख्या–14/2020/ 879/तेईस–2020–176 (सा0)/06 दिनांक 25.08.2020, कार्यालय प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0 113कैम्प/प्र0अ0 विकास/03 (मु0–1)/23 दिनांक 05.10.2023 एवं शासनादेश सं0 28/2023/1556/तेईस–7–2023–176सा/2006 दिनांक 05.12.2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निविदादाता द्वारा निविदा सम्बन्धी समस्त वांछित सूचना तथा आवश्यक अभिलेख प्रहरी की बेबसाइट http://wms.uppwd.gov.in/Prahari पर अपने चाणक्य लॉगिन द्वारा अपलोड किया जाना है तथा प्रहरी से टेक्निकल शीट ई–1 डाउनलोड कर ई–टेण्डर वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर दिनांक 05.11.2026 को अपरान्ह 12.00 तक अपलोड किये जा सकते हैं। तकनीकी बिड दिनांक 05.11.2026 को अपरान्ह 12.30 बजे खोली जायेगी।

निविदा से सम्बन्धित समस्त नियम व शर्तें http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध हैं।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, कानपुर नगर — अधीक्षण अभियंता, कानपुर वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर

UP-258114, Dt. 13.10.2026 Website : www.upgov.nic.in